पत्रांक- विधि- 2(1)/ई-8-चीनी पर प्रवेश कर// 3726 // वाणिज्य कर।

कार्यालयः कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(विधि-अनुभाग)
दिनांकः: लखनऊ, 10 फरवरी, 2017

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0- क0नि0-2-320/ग्यारह-9(81)/91-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(152)-2016 लखनऊ दिनांक 03 मार्च, 2016 से उत्तर प्रदेश में स्थापित चीनी मिलों को पेराई सत्र 2015-16 में उत्पादित चीनी पर कुछ शर्तों के अधीन प्रवेश कर उद्ग्रहण से छूट प्रदान की गयी थी, किन्तु पेराई सत्र 2016-17 हेतु शासन द्वारा उक्त आशय की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है। अतः उत्तर प्रदेश में स्थापित चीनी मिलों की पेराई सत्र 2016-17 में उत्पादित चीनी पर प्रवेश कर वसूल कर जमा किये जाने की अनिवार्यता है।

अतः उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश कर अधिनियम- 2007 के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2016-17 में उत्पादित चीनी तथा चीनी की खरीद/बिक्री करने वाले व्यापारियों से नियमानुसार प्रवेश कर जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

9/02/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।